श्री शिबु सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

श्री रघुवर दास
माननीय उप-मुख्य (वित्त) मंत्री,
झारखण्ड

श्री रघुवर दास

माननीय उप-मुख्य (वित्त) मंत्री, झारखण्ड

का

बजट भाषण

5 मार्च, 2010

श्री रघुवर दास

माननीय उप-मुख्य (वित्त) मंत्री, झारखण्ड

का

बजट भाषण

5 मार्च, 2010

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार का प्रथम वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। हमें यह सौभाग्य प्रदान करने वाली प्रदेश की जनता का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय शिबु सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार नये जनादेश के साथ सत्ता में आई है। हम इस जनादेश को विनम्रतापूर्वक और इस दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार करते हैं कि झारखण्ड राज्य की भलाई के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहेंगे।

जनता के विश्वास एवं अपेक्षाओं में हमारे लिए नई चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों का मुझे पूरा अहसास है। मैं सदन को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि **नई सोच, प्रबल इच्छा शक्ति एवं कारगर रणनीति** के साथ इन आकांक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरने में हम सफल होंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह भी विश्वास है कि जिस परिकल्पना और महान स्वप्न के साथ झारखण्ड राज्य का निर्माण हुआ था, उसे साकार करने में हम कामयाब होंगे। यही हमारा संकल्प है।

"समन्दर को गुमान है, तूफाँ उठाने का,
तो हमें भी शौक है, कश्ती वहीं चलाने का"।

एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन के बाद अभूतपूर्व सुखा, छठे वेतनमान का भारी वित्तीय बोझ, केन्द्रीय करों में राज्यांश की गिरावट, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में राज्य के अंश के प्रतिशत में वृद्धि की स्थिति में राज्य की बागडोर जनता ने हमें सौंपी है। परन्तु, हम प्रेरित हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों

से **"भविष्य से डरिये मत; बल्कि उसके निर्माण में रूचि लीजिए। कल्पना को कर्म से गढ़िये और योजना को युक्ति से पूरा कीजिए"।**

"हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं"।

अध्यक्ष महोदय, इन बुलंद हौसलों से हमारी दिशा स्पष्ट है। आधारभूत संरचना का विकास, निवेश में वृद्धि, कृषि को एक उद्यम के रूप में स्थापित करने, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, कानून व्यवस्था, ग्रामीण विकास, संसाधन में बढ़ोत्तरी एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के इन्हीं लक्ष्यों को यह बजट समर्पित है।

बजट सरकार की दूरदृष्टि प्रकट करने का, नीतियों को लागू करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रयास था कि बजट बनाने की प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण बनाया जाय। इसके लिए मैंने कृषकों, व्यापार, उद्योग, श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व गोष्ठियों का आयोजन किया। माननीय विधायकों से भी पत्र के माध्यम से सुझाव माँगे गये। अच्छे महत्वपूर्ण सुझावों के लिए सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सहभागिता के लिए विमर्श की प्रक्रिया को मैं निरंतर जारी रखूँगा। बजट वर्ष के मध्यावधि में भी पुनः वार्ता करना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, जिन उद्देश्यों से बजट का स्वरूप निर्धारित किया गया है, मैं उन उद्देश्यों को सदन के समक्ष रखना चाहूँगा।

1. राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) के ग्रोथ (Growth) को 10 प्रतिशत करना।
2. प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) को कम से कम 30,000 करना।
3. राजकोषीय घाटा को 2.5 प्रतिशत तक सीमित रखना।

4. संसाधनों में बढ़ोत्तरी कर राजस्व अधिकाई की स्थिति को मजबूत करना।

5. पूँजीगत व्यय के माध्यम से आधारभूत संरचनाओं में निवेश के लिए सरकार का सीधा हस्तक्षेप।

6. नये रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि की वार्षिक वृद्धि कम से कम 5 प्रतिशत करना।

8. राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत एवं राष्ट्रीय औसत का फासला कम करना।

9. कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की पहुँच बढ़ाना।

10. स्वास्थ्य सेवा में सुधार।

11. सभी के लिए शिक्षा हेतु शिक्षा अधिकार अधिनियम को अक्षरशः लागू करना।

12. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

13. ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता देना।

14. राज्य के उद्योग एवं व्यापार को मंदी की चुनौती का सामना करने हेतु सहयोग करना।

15. महँगाई पर नियंत्रण करना।

अध्यक्ष महोदय, इन उद्देश्यों की चुनौतियों से सरकार वाकिफ है। विशेषकर ऐसे समय में जब राज्य मंदी, महँगाई और पिछड़ेपन से जूझ रहा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम अपना नया कार्यकाल आरंभ कर रहे हैं और अपनी कथनी को करनी में बदलने के लिए कृत संकल्प हैं। सदन के समक्ष

मैं सरकार के समक्ष चुनौतियों को भी रेखांकित करना चाहूँगा। **पहली चुनौती** है अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ताकि आय में वृद्धि हो, आय में वृद्धि के साथ साथ यह दर संसाधन सृजन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सदन अवगत् है कि संसाधन अन्तरालों को पाटने के लिए कितने आवश्यक हैं।

दूसरी चुनौती विकास को सुदृढ़ और व्यापक बनाने की है। यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति, समुदाय या क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में प्रतिभागी होने के अवसर से वंचित नहीं रह जाय।

तीसरी चुनौती प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार कर राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही युक्त गुणवत्ता के साथ लोक सेवाएँ, सुरक्षा और कानून सम्मत शासन मुहैया कराना है।

अध्यक्ष महोदय, बजट के माध्यम से कार्य करने के लिये आधारशिला रखी जाती है और बजट राज्य के विकास का प्रतिबिम्ब होता है। बजट के उद्देश्य एवं बहुत लम्बे अर्से से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे झारखण्ड राज्य की जो चुनौतियाँ मैंने सदन के समक्ष रखी है, उनमें बजट का एक मंत्र है **ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुधार।** ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के लिये सरकार की इच्छा इन पंक्तियों से स्पष्ट होती है

"अगर मिले आसमान पर हक कभी एक रात,

मैं सारे तारे तोड़ कर इन्हें दें दूँ।।"

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्षण के लिये सदन का ध्यान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा।

राज्य के विकास की दर को 10 प्रतिशत करने हेतु कृषि क्षेत्र में समुचित विकास आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण नितान्त आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण से न

सिर्फ राज्य की विकास दरें प्रभावित होती हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ीकरण से निम्न प्रभाव प्रतिलक्षित होते हैं :–

- कृषि क्षेत्र के विकास से उत्पादन में वृद्धि होने से इसका सीधा प्रभाव राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) पर पड़ता है।
- कृषि उत्पाद की वृद्धि से इसके मूल्य वृद्धिकरण के उद्देश्य से कृषि आधारित उद्योग की माँगें पैदा होती है।
- इस प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने हेतु उद्योग के साथ–साथ सेवा क्षेत्र यथा संचार, यातायात, वित्तीय सेवाएँ की भागीदारी भी बढ़ती हैं।

उपर्युक्त के फलस्वरूप राज्य की विकास दरें का ग्राफ उच्च स्तर पर जा सकता है।

कृषि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि स्थाई प्रकृति की होती हैं, जिससे राज्य के विकास में स्थिरता आती है। गरीबों के आय में वृद्धि के फलस्वरूप गरीब और अमीर के फासले में कमी अपेक्षित है।

मैं सदन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिये सरकार की कुछ मुख्य प्राथमिकताओं से अवगत् कराना चाहूँगा।

- कृषि में तकनीक के उपयोग एवं आधुनिकीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना,
- कृषि हेतु निवेश,
- कृषि एवं गैर कृषि कार्यों के विस्तार में सहयोग दिया जाना,
- कृषि उत्पाद के विपणन की व्यवस्था,

- खाद्य एवं वानिक क्षेत्र में निवेश,
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूती हेतु आधारभूत संरचना में भी समुचित निवेश आवश्यक है यथा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण तथा इसे मुख्य मार्ग तक जोड़ा जाना, परिवहन की उचित व्यवस्था,
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था,
- ग्रामीण जलापूर्त्ति,
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएँ मुहैय्या कराया जाना,
- छोटे–छोटे उद्यमियों को सहयोग,
- ग्रामीण संसाधन आधारित व्यापार के विकास हेतु सहयोग।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा अपने समक्ष विकास के जो लक्ष्य रखे हैं, उनके लिये **योजनायें, संसाधन एवं युक्ति** तीनों ही आवश्यक हैं, बजट के माध्यम से इन तीनों के लिये व्यवस्था की गई है। मैं विभागवार भी वस्तुस्थिति से सदन का अवगत् कराऊँगा। इसके पूर्व कुछ योजनाओं को सदन के समक्ष रेखांकित करना चाहता हूँ।

1. नगर विकास विभाग द्वारा मेट्रो रेल की स्थापना हेतु Feasibility Report तैयार की जायेगी।
2. राज्य के प्रमुख शहरों में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिये Fly-overs का निर्माण नगर विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।
3. नये मेडिकल कॉलेज Public Private Partnership के अन्तर्गत बोकारो, घाटशिला में स्थापना की जायेगी।

4. संथालपरगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को संथालपरगना क्षेत्र के विकास के लिये सुदृढ़ किया जायेगा।

5. राँची एवं दुमका में एम्स संस्थान स्थापित करना भी एक प्रमुख कार्य है।

6. आई०आई०टी० एवं नये अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे।

7. कस्तुरबा विद्यालयों में महिला पॉलिटेक्निक स्थापित करना भी एक प्रमुख कार्य योजना है।

8. महिलाओं के आर्थिक शसक्तीकरण के उद्देश्य से स्वयं सहायता समूहों को 10,000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

9. ग्रामीण विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये उन्हें बकरीपालन से जोड़ते हुये एक युनिट का (पाँच बकरी) मुफ्त वितरण होगा।

10. 300 उच्च विद्यालय स्थापित करने की योजना है।

11. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विकास प्राधिकार का गठन होगा।

12. ऊर्जा उत्पादन राज्य की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। नये प्लांट तेनुघाट एवं पतरातू में Public Private Partnership में स्थापित किये जायेंगे।

13. ग्रामीण क्षेत्रों में शत्–प्रतिशत विद्युत कनेक्शन के लिये **अटल ग्रामीण ज्योति विद्युत योजना** के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिये जायेंगे।

14. **तिलका माँझी कृषि पंप योजना** के अन्तर्गत कृषि पंपों के ऊर्जान्वयन किया जायेगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तीन फेज विद्युत आपूर्त्ति की व्यवस्था की जायेगी।

15. सिटी बस सेवा सभी प्रमुख शहरों में शुरू की जायेगी।

16. सभी प्रमुख शहरों में ड्रेनेज एवं सिवरेज, शहरी जलापूर्ति की योजनाएँ प्रारम्भ की जायेगी।

17. आधारभूत संरचना राज्य के पिछड़ेपन के दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। अतः इसके लिये तेजी से काम करने के लिये झारखण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास प्राधिकार स्थापित होगा।

18. युवकों को कौशल/प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना भी सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। एक लाख युवक/युवतियों को प्रशिक्षित करने की कार्य योजना है।

19. किसानों का बीमा कराया जायेगा।

20. गाय संवर्द्धन के लिये गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है।

21. मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के लिये किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर फिश फामर्स क्रेडिट कार्ड योजना लागू होगी।

22. बैंकों की सुविधा का विस्तार 2,000 की आबादी तक के लिये किया जा रहा है।

23. राँची, जमशेदपुर में अरबन हाट की स्थापना की जायेगी।

24. 80,000 नियुक्तियाँ सरकार की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही, आदिम जनजातियों के मैट्रिक पास युवक/युवतियों को सीधे नियुक्त किया जायेगा।

25. जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अनाज एवं केरोसीन के लिये कूपन प्रणाली लागू की जायेगी।

26. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 10,000 से बढ़ा कर 15,000 रूपये की जा रही है।

27. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर देय 7 प्रतिशत ब्याज को 4 प्रतिशत किया जायेगा, जिन किसानों के द्वारा समय पर राशि लौटा दी जायेगी।

28. अन्त्योदय अपना गाँव, अपना काम योजना के तहत् गाँवों में बैठ कर ग्रामीणों की सहभागिता से योजनाएँ चुनी जायेंगी। सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत एवं ग्रामीणों का अंशदान 20 प्रतिशत होगा, जो श्रम शक्ति के रूप में भी हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रक्षेत्रवार बजट में प्रमुख एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के सदन के समक्ष रख रहा हूँ।

यहाँ उल्लेखनीय है कि राज्य में **कृषि प्रक्षेत्र** में विकास की दरें राज्य की विकास दर की तुलना में कम रहे हैं। वर्ष 2007–08 में कृषि प्रक्षेत्र का विकास दर 3.8 प्रतिशत रहा है, जबकि वर्ष 2008–09 की अवधि के लिए 3.9 प्रतिशत वृद्धि दर हुई है। वर्ष 2009–10 में इस वृद्धि दर को भी 4 प्रतिशत ही आंका गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 में कृषि प्रक्षेत्र के लिए विकास की दरें को 5 प्रतिशत किये जाने का अनुमान है।

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। राज्य की लगभग 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए मात्र 22 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। राज्य सरकार की निरन्तर प्रयत्न से वर्ष 2008–09 तक लगभग 42 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो कि वर्ष 2001–02 में

लगभग 22 लाख मीट्रिक टन था। परन्तु, अब भी राज्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। कृषि उत्पाद में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना के माध्यम से समेकित कृषि प्रणाली में 96 कलस्टर पर लगभग 50 हजार कृषक परिवारों को जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य के पाँच जिलों यथा–चाईबासा, हजारीबाग, राँची, गुमला व सिमडेगा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए समेकित कार्यक्रम चलाये जा रहे है। वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दलहन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 15 जिलों में यह कार्यक्रम चलाये जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

उत्पादकता वृद्धि हेतु बीज प्रतिस्थापन का दर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 33 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। 29 बीज कार्यक्रमों तथा 12 सब्जी बीज कार्यक्रमों की स्थापना भी की गयी है। इसे पंचायत स्तर तक ले जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। सब्जी उत्पादन 1.75 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2.25 लाख हेक्टेयर हो गया है। फलदार वृक्ष आच्छादित भूमि 33 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 70 हजार हेक्टेयर हो गया है। समेकित कृषि प्रणाली के तहत 300 जलछाजन को विभिन्न जिलों में विकसित किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 के लिए 260 करोड़ रुपये का लक्ष्य कृषि प्रक्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु रखा गया है। आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री खुशहाली योजना को ज्यादा व्यापक बनाने हेतु समेकित खेती को बढ़ाने की योजना तैयार की गयी है। तिलहन/दलहन तथा मिलेट विकास की नई योजना प्रारंभ की जा रही है, जो सुखाड़ क्षेत्र तथा टांड क्षेत्रों में कृषक का उत्पादन/उत्पादकता एवं आय वृद्धि में सहायक होगी। ज्यादा से ज्यादा खेतों में दो फसली करने का प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है।

दुमका कृषि प्रौद्योगिकी पार्क तथा धनबाद जिला अन्तर्गत प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना प्रस्तावित है।

कुक्कुट पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने की योजना है।

पशुधन उत्पादकता में वृद्धि के लिये पशुधन नस्ल सुधार कार्यक्रम वृहद् पैमाने पर लागू किया जा रहा है। 20 बकरा विकास केन्द्रों के माध्यम से एक लाख बकरियों का नस्ल सुधार की योजना है। ब्लैक बंगाल नस्ल के 600 बकरा इकाई स्थापित किये जा रहे है।

2010–11 में 8 प्रतिशत अनुमानित वृद्धि दर से 19.10 लाख मैट्रीक टन दूध का उत्पादन का लक्ष्य है। डेयरी विकास के लिये, गाय के नस्ल सुधार हेतु 510 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित किये जा रहे है और 500 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। **''झारखण्ड डेयरी परियोजना''** का गठन किया गया है तथा आगामी पाँच वर्षों के लिये इसका प्रबंधन भार **राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन०डी०डी०बी०)** को सौंपा गया है। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 48.82 करोड़ रुपये की परियोजना स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत राज्य के 12 जिलों के 940 ग्रामों में 41 हजार 5 सौ ग्रामीण परिवारों को जोड़कर लाभान्वित किया जायेगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नियंत्रण में संचालित झारखण्ड डेयरी परियोजना अन्तर्गत ओरमाँझी, राँची में स्थापित 20 हजार लीटर क्षमता की डेयरी का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वर्त्तमान में 3,000 लीटर दूध की बिक्री मेधा ब्रांड के नाम से किया जा रहा है। साथ ही, राँची मुख्यालय में एक लाख लीटर डेयरी का निर्माण किया जा रहा है।

नये पशु आहार कारखाना की स्थापना की जायेगी।

मत्स्य विकास को एक नई दिशा दी जा रही है। राज्य को मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने एवं मछली पालन के माध्यम से जीविका एवं

स्वनियोजन के अवसर उत्पन्न करने हेतु विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध जल संसाधन के अधिक से अधिक उपयोग के लिए स्थानीय शिक्षित युवकों को माध्यम बना कर मत्स्य विकास की वृहत कार्य योजना है।

तालाब मत्स्य का विकास योजना में 110 हजार मे०ट० मछली के उत्पादन हेतु 90 करोड़ मछली के बीज के उत्पादन किया जायेगा। राज्य में मत्स्य बीज की माँग को पूरा करने हेतु 25 निजी 3–4 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन हेतु हैचरी के निर्माण का प्रावधान है। मछुआरों के लिए मछुआ आवास योजना अंतर्गत कुल 2,000 मछुआरों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की तथा स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए चापाकल अधिष्ठापन की योजना है। राज्य में कुल 1,15,000 हेक्टर जलाशय जलक्षेत्र में से 40,000 हे० जलक्षेत्र में 2.50 करोड़ मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन एवं मत्स्य पालन करने वाले गैर सरकारी 237 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को आवश्यक सामग्री के रूप में तीन नाव प्रति समिति तथा समिति के 8,000 सदस्यों को गिलनेट मुहैया कराने का प्रस्ताव है। **मछली पालकों के लिये फिश फामर्स क्रेडिट योजना लागू की जायेगी।**

सिंचाई की आवश्यकता कृषि हेतु बुनियादी है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए जल संसाधन विभाग का कुल योजना उद्व्यय 475 करोड़ का निर्धारित किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष में गुमानी बराज योजना, अजय बराज योजना, अपरशंख जलाशय योजना, सुरंगी जलाशय योजना, सोनुआ जलाशय योजना, पंचखेरो जलाशय योजना, भैरवा जलाशय योजना, नकटी जलाशय योजना, रामरेखा जलाशय योजना, केशो जलाशय योजना एवं बटाने जलाशय योजना जिनका कार्य विगत वित्तीय वर्ष में लोकसभा एवं विधान सभा चुनाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाया था, उसे पूरा कर 57.085 हजार हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

लघु सिंचाई योजनाएँ यथा चेक डैम, श्रृंखलाबद्ध चेक डैम, मध्यम सिंचाई परियोजना, तालाब/आहर, कूप, माइक्रोलिफ्ट आदि का निर्माण कर 14.135 हजार हे० में सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सुवर्णरेखा परियोजना का कार्य अपेक्षित गति से सम्पादित नहीं होने का कारण वन भूमि की समस्या के साथ–साथ निधि का अभाव भी है। इस परियोजना हेतु वनभूमि अपयोजन की कार्यवाई अंतिम चरण में है। तदुपरान्त सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के समक्ष रखा गया है।

सहकारिता, जो परस्पर सहयोग पर आधारित एक जन आंदोलन है, जिसके मूल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावना को अन्तर्निहित है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए कुल 45 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाएँ के लिए प्रस्ताव तैयार किय गया है।

फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 में खरीफ के लिए 1,015.00 करोड़ रुपये का फसल बीमा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा किया गया है, जिसके लिए किसानों द्वारा 26.53 करोड़ रुपये प्रीमियम का भुगतान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य को सुखाड़ग्रस्त घोषित किये जाने के आलोक में किसानों द्वारा जमा किये गये उक्त प्रीमियम की राशि किसानों को प्रतिपूर्त्ति करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रीमियम की राशि की प्रतिपूर्त्ति हेतु 21.00 करोड़ रुपये का बजट प्राक्कलन प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्पोषित गढ़वा, गिरिडीह एवं लातेहार जिले के लिए 1,764.76 लाख रुपये की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2009–10 में गोड्डा, साहेबगंज, धनबाद, लोहरदगा एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों के लिए 3,371.56 लाख रुपये एवं पाकुड़, जामताड़ा, पलामू, चतरा

एवं कोडरमा के लिए 5,651.97 लाख रुपये की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है, जो प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में इस मद में 10.00 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है।

झास्कोलैम्फ के द्वारा जनजातीय ग्रामीणों के लिए TRIFED के सौजन्य से 2000 व्यक्तियों को लाह उत्पादन की वैज्ञानिक पद्धति सिखाई जानी है। लाह उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु 95 यूनिट्स ग्रामीण लाह औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित कर 1140 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2010–11 में झास्कोलैम्फ के लिए हिस्सा पूँजी मद में 50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

लघुवन पदार्थों पर बड़ी संख्या में राज्य के अनुसूचित जनजाति के लोगों की आजीविका के लिये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति को लघुवन पदार्थों का उचित मूल्य मिल सके, उनका शोषण नहीं हो, इसके लिये झारखण्ड राज्य लघुवन उत्पाद फेडरेशन के माध्यम से उचित मूल्य पर लघुवन पदार्थों का क्रय किया जायेगा, इसके लिये भी बजट उपबंध किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग की योजनायें ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदलने का एक सशक्त साधन है। ग्रामीण विकास विभाग के लिये 1,000 करोड़ रूपये की राशि कर्णांकित की गई है। सभी हाथों को रोजगार, सभी के लिये मकान एवं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक उद्यमिता के लिये ग्रामीण विकास की योजनाओं को सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर लागू किया जायेगा।

गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (NREGA) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 2010 तक कुल उपलब्ध राशि 1,690.46 करोड़ रूपये के विरूद्ध 1,110.64 करोड़ रूपये व्यय कर 59,006 योजनायें पूरी की जा चुकी है। मार्च तक 9 करोड़ मानव दिवसों का सृजन की संभावना है तथा कुल 83,658 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार

उपलब्ध कराया जाना है। 2010–11 के लिये लेबर बजट 2,500 करोड़ रूपये का रखा गया है। एक लाख फार्म पॉण्ड, कृषि भूमि विकास, सिंचाई के संसाधन की योजनायें प्रमुख है, ताकि ग्रामीण रोजगार एवं कृषि उत्पादकता को जोड़ा जा सके।

इंदिरा आवास योजना के तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 399.77 करोड़ रूपये के विरूद्ध 301.76 करोड़ रूपये व्यय कर 34,666 आवासों का नवनिर्माण एवं 15,089 आवासों का उन्नयन किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 450.00 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 150.00 करोड़ कुल 600.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

10 नक्सल प्रभावित जिलों में 90,000 इंदिरा आवास निर्माण एवं उन्नयन। आदिम जनजातियों के लिये 7,320 इंदिरा आवास निर्माण के साथ राज्य में कुल 2 लाख इंदिरा आवास निर्माण एवं उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल उपलब्ध राशि 141.08 करोड़ रूपये के विरूद्ध 80.96 करोड़ रूपये व्यय कर 5,169 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 120.00 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में 40.00 करोड़ कुल 160.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से सामाजिक उद्यमिता स्थापित करना एवं मुख्य रूप से महिलाओं की आजिविका में वृद्धि उद्देश्य है।

डी०पी०ए०पी० / आई०डब्ल्यू०डी०पी० योजनान्तगर्त बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने, भू–गर्भ के जलस्तर को बढ़ाने तथा ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। डी०पी०ए०पी० योजनान्तर्गत 1,332 जलछाजन योजनाओं एवं आई०डब्ल्यू०डी०पी० के अन्तर्गत 1,23,602 हेक्टेयर क्षेत्र पर कार्य किया जा रहा

है। वर्तमान में सभी परियोजनाओं पर कार्य चालू है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में 15.00 करोड़ रूपये एवं राज्यांश के रूप में 5.00 करोड़ रूपये कुल 20.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में 79 पुल–पुलिया परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए इस योजना अन्तर्गत कुल 209.00 करोड़ रूपये व्यय करने का प्रस्ताव है। 250 पुल–पुलिया के निर्माण का लक्ष्य है।

प्रखण्ड भवन लघु निर्माण एवं जीर्णोद्धार योजना के तहत् अधिकांशतः पुराने प्रखंड कार्यालय एवं आवासीय भवन की स्थिति जर्जर है, उनके लघु निर्माण एवं पुनरूद्धार के लिए 70.00 करोड़ रूपये का व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित है।

आदर्श ग्राम योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित गाँव को आदर्श गाँव के रूप में लिया जायेगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में 20.00 करोड़ रूपये का योजना उद्व्यय है।

पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन सरकार द्वारा शीघ्र कराये जायेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिये समुचित सहायता दी जायेगी, ताकि अपने कार्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सके। पंचायत महिला शक्ति अभियान के साथ–साथ पंचायत युवा शक्ति अभियान के माध्यम से निर्वाचित महिला जन प्रतिनिधियों एवं युवा जन प्रतिनिधियों को शक्तियों एवं कार्यों के साथ आवंटित योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों के लिये उनके सशक्तिकरण के साथ–साथ दक्षता और सामाजिक अंकेक्षण में उनकी सहभागिता को बढ़ाया जायेगा।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के माध्यम से विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायत भवन के निर्माण, अनुरक्षण योजना के अन्तर्गत सभी पंचायत भवनों में मॉडल पंचायत भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एवं पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण व्यवस्था के लिये पंचायती राज विभाग के दो प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के लिये 70.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

गृह विभाग, झारखण्ड राज्य में विधि–व्यवस्था संधारण उग्रवादी गतिविधियाँ की पृष्ठभूमि में एक चुनौती के रूप उभर कर सामने आया है। राज्य में विकासात्मक गतिविधियों को तेज करने के लिए यह आवश्यक है कि शांति व्यवस्था बहाल रहे। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था विशेष कर ग्रामीण पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है। आगामी वर्षों में राज्य की पुलिस आम लोगों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करेगी। ग्रामीण पुलिस व्यवस्था में जन भागीदारी को महत्व दिया जायगा। ग्राम प्रधान एवं प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए संस्थात्मक व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस एवं जनसंख्या के अनुपात को आदर्श स्तर पर लाने हेतु थाना का आच्छादन क्षेत्र विस्तारित किया जा रहा है एवं कई एक नए थाना खोले जा रहे हैं। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत् आधारभूत संरचना यथा – थाना भवन, वाहन, आधुनिक अस्त्र–शस्त्र एवं संचार व्यवस्था स्थापित किए गए हैं। राज्य पुलिस में स्थानीय युवकों को नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से

थाना स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जायगें, ताकि अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण युवक पुलिस व्यवस्था के अंग बन सकें। राज्य सरकार ने एक जनजातीय बटालियन गठित करने का भी निर्णय लिया है, जिसमें स्थानीय युवकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु शारीरिक मापदंडों में छूट दी गयी है।

राज्य में उग्रवादी धटनाएँ चिंता का विषय है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से इस ओर आवश्यक पहल किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावित जिलों का जिला योजना तैयार किया जा रहा है, जिसमें गहन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जायगें। यह प्रयास रहेगा कि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाई जाए, ताकि ग्रामीण जनता को लाभ प्राप्त हो सके। भटके हुए युवकों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रगतिशील समर्पण नीति बनाई है। नित बदलते परिवेश की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट कोटि का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के प्रशिक्षण केन्द्रों को सुदृढ किया जा रहा है। राज्य में चार काउन्टर इनसर्जेन्सी स्कूल (CIAT) यथा – नेतरहाट, पदमा, मुसाबनी एवं मण्डल में स्थापित करने का निर्णय है। लातेहार जिला में जंगवार फेयर स्कूल कार्यरत है। पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र एवं पी०टी०सी० को सुदृढ़ किया जा रहा है। लातेहार, गिरिडीह, लोहरदगा एवं कोडरमा में पुलिस लाईन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

राज्य में सैटेलाईट आधारित पुलिस संचार व्यवस्था (Polnet) स्थापित किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों की दो विशेष वाहनियाँ–सैप (SAP), औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडिया रिजर्व बटालियन, दुर्गम क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए भूतूपर्व सैनिकों का पायेनियर बटालियन, आतंकवादियों से निबटने के लिए ऐन्टी टेरोरिस्ट स्कवाइड (ए०टी०एस०) एवं विशेष कार्य बल (एस०टी०एफ०). गठित किया गया है।

विशेष शाखा, सी०आई०डी०, विधि विज्ञान प्रयोगशाला को पुनर्गठित किया गया है। श्वान दस्ता एवं बम निरोधक दस्ता बनाया गया है।

राज्य के काराओं में जनसंकीर्णता को दूर करने के लिए जेलों की क्षमता में वृद्धि की गयी है। राज्य के रामगढ एवं बरही में कारा का निर्माण कार्य जारी है। नगर उटारी, हुसैनाबाद, चाण्डिल, बुण्डु एवं चक्रधरपुर में नए जेलों के भवन निर्माण का प्रस्ताव है। कारा सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कारा में स्वरोजगार के प्रशिक्षण दिए जायगें। राज्य के सभी काराओं में चिकित्सा एवं स्वच्छता अधिष्ठापन संबंधी कार्य किए जा रहे है।

अग्निशमन सेवा को सुदृढ करते हुए राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं अनुमण्डलों में आवश्यकता के अनुरूप अग्निशमन केन्द्र स्थापित किए जा रहे है। इस वर्ष चिन्हित स्थानों पर अग्निशमन सेवा के नए भवन एवं उपकरण उपलब्ध कराए जायगें।

गृह रक्षावाहिनी विधि–व्यवस्था संधारण का एक महत्वपूर्ण संगठन है। इस संगठन में ग्रामीण क्षेत्रों के युवकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संगठन को विभिन्न आपदाओं से निबटने हेतु प्रशिक्षण, आधारभूत संरचना एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराये जा रहे है। इस वर्ष राज्य के दुमका एवं पलामू में प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा किया जायगा।

विधि–व्यवस्था एवं आतंकवादी धटना से निबटने के लिए जन सहयोग आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार राँची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो एवं गोड्डा जिले में नागरिक सुरक्षा संगठन को विस्तारित किया जायगा। राज्य में एक सिविल डिफेन्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट भी स्थापित किया जायगा, जिसमें आम लोगों को आपात स्थिति से निबटने के लिए प्रशिक्षित किया जायगा।

शिक्षा राज्य के विकास की बुनियाद है। राज्य का विकास शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शिक्षा का अधिकार कानून 01 अप्रैल, 2010 से लागू हो रहा है। इस अधिनियम के तहत् 6–14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य रुप से विद्यालय जाना होगा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ली जाने वाली योजनाओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुरुप ढाला जायेगा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी विद्यालयों में एक न्यूनतम मानक निर्धारित करते हुए उस मानक की प्राप्ति के प्रयास किये जायेंगे।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी टोलों में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शिक्षक एवं संरचना की व्यवस्था की जायेगी।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में करीब 40 हजार विद्यालयों में लगभग 40 लाख बच्चे इस योजना के अंतर्गत आच्छादित होते है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन का समुचित अनुश्रवण अत्यन्त ही आवश्यक है। इस हेतु मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा इस योजना के विद्यालय स्तर पर सीधे अनुश्रवण हेतु एक त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था का अवधारण किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्यस्तर पर, प्रत्येक जिलास्तर पर एवं प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर एक अनुश्रवण कोषांग की स्थापना की जायेगी एवं उक्त कोषांगों से विद्यालयों से सीधे दूरभाष पर संपर्क कर मध्याह्न भोजन के कार्यान्वयन की सूचना प्राप्त की जायेगी।

राज्य में साक्षरता दर विशेषतः महिला साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि लाने हेतु साक्षर भारत योजना के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों को सम्मिलित किया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में 4 जिलों यथा राँची, हजारीबाग, दुमका एवं धनबाद को इस योजनान्तर्गत आच्छादित करते हुए इन जिलों के लगभग 10 लाख असाक्षरों

को सितम्बर, 2010 तक साक्षर किया जायेगा। तदुपरान्त उनको विभिन्न क्षेत्रों में हुनर विकास हेतु भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

198 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय राज्य में संचालित है। झारखण्ड एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ पर कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय को +2 विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में पॉलिटेक्निक की स्थापना की जायेगी।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय का इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम रहा है। अपनी गरिमा को बरकरार रखने तथा निरन्तर प्रगति कर आगे बढ़ते रहने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नेतरहाट विद्यालय को स्वायत्तता प्रदान की गयी है।

राज्य में अब तक 18,178 नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं तथा अब तक 9,681 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।

वर्ष 2001 में विद्यालय से बाहर रह रहे 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 13.8 लाख थी, जो वर्ष 2009 में घटकर 1.14 लाख हो गयी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का छिजन दर 55 प्रतिशत जो वर्ष 2009 में घटकर 15 प्रतिशत हो गयी है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों का छिजन दर 78 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2009 में घटकर 49 प्रतिशत हो गयी है।

वर्ष 2010–11 में **सर्व शिक्षा अभियान** के तहत 200 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 500 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 5,000 अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, 200 नये विद्यालय भवन का निर्माण तथा 13 नये प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

300 उच्च विद्यालयों की स्थापना इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य है।

राज्य के सुदूरवर्त्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण **स्वास्थ्य सेवा** उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़संकल्प है। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है। वर्ष 2009–10 में 172 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 408 उप–स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 148 प्रखंडों में 30 शैय्या वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

प्रत्येक जिला के जिला अस्पताल में 100 शैय्या वाले, फिर इसे चरणबद्ध तरीके से 300 शैय्यावाले अस्पताल में उत्क्रमित करने की योजना चलायी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लातेहार, पलामू, देवघर, गुमला में 100 शैय्या वाले अस्पताल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। सदर अस्पताल राँची को 500 शैय्या वाले अस्पताल के रुप में विकसित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2000 की शिशु मृत्यु दर 72 प्रति हजार से घटकर 46 प्रति हजार हो गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत 57 प्रति हजार की तुलना में कम है। पूर्ण टीकाकरण की दर को 9 प्रतिशत से बढ़कर 54.1 प्रतिशत किया जा चुका है, जो कि राष्ट्रीय औसत भी है। 30,012 ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ पूरे राज्य में कार्यरत हैं। 40,964 'साहिया' पूरे राज्य में कार्यरत हैं। झारखण्ड राज्य का यक्ष्मा निवारण प्रतिशत 89 प्रतिशत है तथा नया रोगी खोज दर 76 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक है। राज्य के 24 जिलों के सुदूर एवं सुविधाविहीन क्षेत्रों में एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड, पैथोलॉजी, इ०सी०जी० की जाँच सुविधायुक्त 66 मोबाईल मेडिकल यूनिट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।

राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक को राष्ट्रीय स्तर तक लाये जाने हेतु निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। 500 स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्रसव स्वास्थ्य उपकेन्द्र के रुप में विकसित करना, 30,011 ग्राम स्वास्थ्य समितियों का सुदृढ़ीकरण, 85 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को फस्ट रेफरल यूनिट के रुप में

क्रियान्वित करना एवं 194 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा के लिये सुविधायुक्त बनाना महत्वपूर्ण है। इसके साथ–साथ नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का प्रखंड स्तर पर क्रियान्वयन, राँची शहर में 20 शहरी स्वास्थ्य पोस्ट का निर्माण एवं संचालन, कालाजार प्रभावित जिलों में सूक्ष्म कार्य योजना बनाकर घर–घर में रोगियों की पहचान एवं उपचार की सुविधा सुनिश्चित करना, राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 4,76,190 मोतियाबिन्द आपरेशन एवं 75 हजार बच्चों का नेत्र जाँच तथा 25 विजन सेन्टर, दो EYE Collection Centre की स्थापना एवं 24 जिलों में नेत्र जाँच सुविधा को सशक्त करना प्रस्तावित है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों का निःशुल्क नेत्र जाँच किये जाने का प्रस्ताव है।

पेय जल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा जलापूर्त्ति योजनाओं के लिए वर्ष 2010–11 में कुल 300 करोड़ रुपये की योजनायें का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2009–10 में कुल 79,964 नलकूपों के लक्ष्य के विरुद्ध 36,997 नलकूपों का निर्माण किया गया है। राज्य में स्वीकृत 136 ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं में से 52 ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं को पूर्ण कर चालू किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में चालू योजनाओं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 8,000 अदद नलकूपों का पुनर्स्थापन, 24 अदद् ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का निर्माण, 25 पुरानी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का जीर्णोद्धार, प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में वाटर टैंक के साथ फोर्स एण्ड लिफ्ट पम्प का निर्माण एवं मदरसों में 125 अदद् नलकूप का निर्माण का प्रस्ताव है।

राज्य योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पाईपों से जलापूर्त्ति के लिए कुल 35 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 71.61 करोड़ रुपये है।

प्रत्येक पंचायत में पाँच–पाँच चापाकल लगाये जायेंगे, इसके लिये 41 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा, अत्यावश्यक खाद्य सामग्रियों की दरों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि सरकार के लिए चिन्ता का विषय है एवं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब वर्गों पर पड़ता है। जनवरी, 2008 में डावोस में संपन्न ''वर्ल्ड इकोनामिक फोरम'' की शिखर बैठक में यह चर्चा का विषय बना रहा एवं विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा विकासशील राष्ट्रों में गरीब परिवारों को इस समस्या से जूझने के लिए ''नगद अनुदान'' देने का सुझाव दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान भारत सरकार के ''राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2006'' के कुपोषण संबंधी कुछ चौंकानेवाले आँकड़ों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस अद्यतन सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 46 प्रतिशत बच्चे तथा 40 प्रतिशत वयस्क कुपोषण के शिकार हैं तथा 60 प्रतिशत गर्भवती महिलायें एवं 80 प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं, जबकि शासकीय आँकड़ों के मुताबिक भारतवर्ष में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या 28 प्रतिशत है। **हमारी मांग है कि बी०पी०एल० परिवारों की संख्या का पुनर्निधारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाना चाहिये।**

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि अन्त्योदय एवं बी०पी०एल० परिवारों को 1.00 रूपये के दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में **खाद्य सुरक्षा** शत–प्रतिशत रूप से मुहैय्या करायी जायेगी। **सदन को मैं सूचित करना चाहूँगा** कि झारखण्ड देश का प्रथम राज्य है, जहाँ यह योजना शुरू की जा रही है। 25 पैसे प्रति किलो की दर से आयोडीन उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजना के लिए राशि उपबंधित की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा की योजना के कार्यान्वयन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विशेष महत्व है। जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को और जवाबदेह बनाया जायेगा। हमारा सतत् प्रयास रहेगा कि गरीबी से जुड़े, कुपोषण की स्थिति में आशातीत सुधार शीघ्र किया जा सके।

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्त्ति हेतु योजनाएँ तैयार की जा रही है। वर्ष 2010–11 के लिए ऊर्जा क्षेत्र में कुल 750 करोड़ रुपये की योजनाएँ तैयार की गयी हैं।

राज्य के 13 जिलों में 8,727 गाँवों को मार्च, 2010 तक विद्युतीकृत किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 7,367 गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। कुल 9,11,450 बी०पी०एल० परिवारों को बिजली का कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध कुल 4,84,611 बी०पी०एल० परिवारों को कनेक्शन दिया गया है।

राज्य के 11,010 अन–इलैक्ट्रीफायड एवं डी–इलैक्ट्रीफाइड गाँवों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। इन जिलों के 7,49,478 बी०पी०एल० परिवारों को बिजली कनेक्शन दिये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 2,18,559 बी०पी०एल० परिवारों को कनेक्शन दिया गया है।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत कुल 105 स्थानों पर 33/11 के०वी० क्षमता का पावर सब–स्टेशन का निर्माण किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध 31 स्थलों पर पावर सब–स्टेशन का निर्माण पूर्ण किया गया है।

पतरातु थर्मल पावर स्टेशन की 10 इकाइयों में से मात्र 3 इकाईयों से लगभग 155 मेगा वाट विद्युत् का उत्पादन हो रहा है। इसकी इकाई संख्या 9 एवं 10 के Renovation and Rehabilitation का कार्य जारी है। इस मद में

अगले वित्तीय वर्ष में 90 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन दो इकाइयों को सुदृढ़ कर विद्युत् उत्पादन अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में शुरु होने का अनुमान है। इन दोनों इकाईयों से 220 मेगा वाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन हो सकेगा।

विद्युत् संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के पूर्वी क्षेत्र पाकुड़, पश्चिमी क्षेत्र लातेहार एवं डालटेनगंज एवं मध्य क्षेत्र के काँके में नया 132/33 के०वी० ग्रीड का निर्माण कार्य चल रहा है। पाकुड़ ग्रीड जून, 2010 तक चालू करने का लक्ष्य है। इससे संथालपरगना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में अपेक्षित सुधार संभव हो सकेगा।

कोडरमा–लातेहार, लातेहार–डालटेनगंज संचरण लाइन दिसम्बर, 2010 तक पूरा होने की संभावना है एवं इसके उपरान्त पलामू क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति में अपेक्षित सुधार हो जायेगा।

वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 33/11 के०वी० क्षमता का पावर सब–स्टेशन का निर्माण पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बिरसा नगर एवं घाटशिला, गोड्डा जिला में बरमसिया, साहेबगंज में तेलवा, मेदिनीनगर में पाँकी में किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। अटल ग्रामीण ज्योति योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को मुफ्त बिजली की योजना है।

पथ निर्माण, राज्य के विकास एवं औद्योगिक संरचना मजबूत करने हेतु सड़क का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य गठन के पश्चात् अब तक लगभग 1,630.00 करोड़ रुपये की लागत से 3,850 कि०मी० पथों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा 65 पुल योजनाओं का निर्माण संपन्न किया गया है। **पथ**

निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 कुल 705 करोड़ रुपये की योजनाएँ तैयार किया गया है।

राज्य में 15 आर०ओ०बी० (रेलवे ओभर ब्रीज) का निर्माण राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय के संयुक्त निधि से रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कुल 12 आर०ओ०बी० का निर्माण पूर्ण किया गया है तथा शेष आर०ओ०बी० का कार्य शीघ्र पूरा होने की संभावना है।

छः लेन राँची रिंग रोड के निर्माण के क्रम में प्रथम चरण में राष्ट्रीय उच्च पथ–75 के 9वें कि०मी० में काठीटांड से एन०एच०–33 के कि०मी० 114 पर विकास विद्यालय करमा तक कुल 22.8 कि०मी० पथ जिसकी लागत 162 करोड़ रुपये है, के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

बाह्य संपोषित योजना अन्तर्गत **एशियन विकास बैंक (ADB)** के ऋण से **गोविन्दपुर–जामताड़ा–दुमका बरहेट–साहेबगंज पथ** का उन्नयन पुनरुद्धार चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण बाईपास सहित के दो लेन मानक के कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है एवं इसके लिए एशियन विकास बैंक से ऋण स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। 310 कि०मी० वाली इस पथ परियोजना पर 1,064 करोड़ रुपये की लागत आयेगी, जिसका कार्य जल्द से जल्द प्रारम्भ किया जायेगा।

वर्ष 2010–11 में लगभग 495 कि०मी० पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं 22 अदद पुल का निर्माण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु पथों के विकास की नितांत आवश्यकता है।

पथों के विकास हेतु लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा।

सड़को के सुनियोजित विकास, संरक्षण तथा उत्तम रख–रखाव के उद्देश्य से **झारखण्ड राज्य राजमार्ग अधिनियम** लागू किया गया है। इस अधिनियम के शक्तियों के प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य राजमार्ग नियमावली, 2007 तैयार की जा रही है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 17,352.63 कि०मी० सड़को का निर्माण किया जायेगा। जिसमें कुल 11,219 गाँवों को वर्ष 2011–12 तक पक्की सड़कों से जोड़े जाने की योजना है। इस वर्ष माह जनवरी, 2010 तक कुल 399 गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है, जबकि अब तक कुल 2,204 गाँवों को इस योजना के तहत जोड़ा जा चुका है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सारे गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 9,186.93 कि०मी० सड़क निर्माण की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है तथा शेष योजनायें की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत कुल 204.00 करोड़ रुपये की राज्य योजनायें तैयार की जा रही हैं।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 4,500 कि०मी० सड़क निर्माण का लक्ष्य है। अन्य क्षेत्रीय योजना के 1,000 की आबादी के एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय योजना के 500 की आबादी के सभी गाँवों को सड़क से जोड़ा जायेगा। 10 नक्सल प्रभावित जिलों के लिये अन्य क्षेत्रीय योजना के 500 की आबादी एवं अनुसूचित जाति क्षेत्रीय योजना के 250 आबादी के गाँव–टोलों को सड़क से जोड़ा जायेगा।

रेल नेटवर्क की सुविधा राज्य वासियों को प्राप्त हो सके, इसके लिये रेल मंत्रालय के सथ सहभागिता से निर्माण की जा रही छः रेल परियोजनाओं के निर्माण कार्य को गति दी जायेगी। 130.00 करोड़ रूपये इनके लिये कर्णांकित किये गये हैं।

उद्योगों को राज्य में विकसित, स्थापित एवं विस्तारित करने के लिये तंत्र स्थापित किया जा रहा है, ताकि उद्यमियों को कठिनाई न हो। उद्योग नीति को और कारगर बनाया जा रहा है। पुर्नवास नीति में समुचित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन पैकेज के द्वारा भी राज्य में उद्योग विकास के लिये प्रावधानित है। राज्य के उद्योगों को वर्त्तमान परिवेश के आलोक में प्रतिस्पर्धात्मक एवं विश्व बाजार के अनुरुप उत्पाद तैयार करने के दृष्टिकोण से कलस्टर विकास की योजना पर विशेष रुप से ध्यान दिया जा रहा है।

आदित्यपुर ऑटो कलस्टर के साथ राज्य में रिफैक्ट्रीज कलस्टर, चिरकुण्डा एवं सीमेंट कलस्टर, रामगढ़ वेल मेटल कलस्टर, विष्णुगढ़, हजारीबाग एवं वेल मेटल कलस्टर, झरियागढ़, खूँटी के कलस्टर की स्थापना प्रस्तावित है।

राज्य के युवा वर्ग को स्वनियोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डाई मेकिंग एवं टूल्स में प्रशिक्षण निमित्त राँची एवं दुमका में मिनी टूल रुम में पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों में चार वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में कुल 120 छात्र प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

भारी अभियंत्रण निगम (HEC) का राज्य सरकार द्वारा पुर्नवास पैकेज लागू किया जा चुका है। इस पैकेज से HEC का Revival हुआ है, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेशकों के बीच अच्छे संदेश के साथ–साथ औद्योगिक माहौल स्थापित हुआ है।

स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 23,000 बुनकरों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया गया। इसके अंतर्गत 15,000 रुपया तक चिकित्सा सुविधा प्रत्येक बुनकर को उपलब्ध कराया गया है। महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजनान्तर्गत 1,329 बुनकरों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमित कराया गया है।

लघु औद्योगिक इकाइयों के विस्तार हेतु सरकार कृत संकल्प है। लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास एवं उनके समस्याओं का निदान जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जाता है। वर्त्तमान में 12 जिलों में ही जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय कार्यरत हैं। शेष 10 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। सरायकेला–खरसावां जिला में जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय का भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय के भवन निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

राज्य में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण एवं इसके विकास के लिए झारखण्ड आधारभूत संरचना विकास निगम (जिन्फ्रा) का गठन किया गया है। जिन्फ्रा के द्वारा सात योजनाओं यथा मेगा आद्योगिक ग्रोथ सेंटर, बरही, बेकन फैक्ट्री राँची का पुनर्विकास, ऑटो पार्क, आदित्यपुर नालेज सिटी, अपशिष्ट पदार्थों के उपचार हेतु प्लॉट की स्थापना आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में, जेल काम्प्लेक्स, राँची का विकास एवं हार्टिकल्चर बाजार एवं फूड प्रोसेसिंग जोन के विकसित करने की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

वर्ष 2010–11 में राज्य में 114.35 लाख तसर के स्वस्थ डिम्ब समूह उत्पादन की योजना है। इस योजना के तहत 10,000 तसर कृषकों को कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण देना है।

राज्य में उत्पादित तसर कोकुन एवं तसर उत्पाद को Organic Silk Certification हेतु विस्तार का प्रस्ताव है। चिरकुंडा, हजारीबाग, खूँटी एवं बोकारो में मिनि कलस्टर के विकास की योजना का प्रस्ताव है। राज्य में नये जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना एवं राँची के कार्यालय को बहुउद्देशीय बनाने की योजना प्रस्तावित है। हजारीबाग में अरबन हाट की स्थापना तथा संचालन का प्रस्ताव है।

समेकित हस्तकरघा विकास की योजना के तहत 5,000 बुनकरों को प्रशिक्षित एवं भविष्य निधि योजना अंतर्गत लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

श्रम एवं नियोजन के संबंध में अध्यक्ष महोदय रोजगार की सच्चाईयों पर ध्यान देना जरूरी है, देश में रोजगार अवश्य बढ़ रहे है, परन्तु 74 प्रतिशत छः महानगरों से संबंधित है। झारखण्ड के युवाओं की मुट्ठियाँ रोजगार रहित नहीं रहे, इसके लिये रणनीतिक प्रयास जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा श्रम प्रशिक्षण कारगर ढंग से लागू करने के लिये सभी प्रखण्डों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायेंगे, ताकि युवाओं के पास माँग के अनुरूप कुशलता एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण नीति लागू कर अच्छे रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे एवं कौशल प्रशिक्षण की कमी को दूर किया जायेगा।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिये इस वित्तीय वर्ष में राज्य योजना के तहत् 650.00 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य के पूरे जिले में लागू किया गया है। प्रथम चरण में 6 जिलों में लागू इस योजना के तहत् कुल 3,94,260 लाभूकों को स्मार्ट कार्ड निर्गत किया जा चुका है। शेष 18 जिलों में बी०पी०एल० परिवारों को इस योजना के तहत निबंधित कर स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निर्माण कार्य करने वाले प्रतिष्ठानों से उनके निर्माण की कुल लागत योजना का 1 प्रतिशत की राशि उपकर के रुप में प्राप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत राज्य में कुल 10,620 श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। सभी निबंधन श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना का लाभ प्रति लाभूक 100 रुपये की दर से कराये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य के बीड़ी बाहुल्य क्षेत्र यथा–पाकुड़, चक्रधरपुर एवं दुमका में बीड़ी श्रमिकों के स्वास्थ्य जाँच के निमित्त एक–एक अस्पताल भवन का निर्माण गत् वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया गया है। अगामी वित्तीय वर्ष में तीनों अस्पतालों में चिकित्सा सेवा प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के वृद्ध व्यक्तियों को 400/– रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 6,76,003/– रुपये पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का लाभ 40 वर्ष से 64 वर्ष के अंदर ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा सूची 2002 में शामिल विधवा को भी 400/– रुपये प्रतिमाह पेंशन की दिये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य में कुल 80,397 पेंशनधारी निबंधित है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से 64 वर्ष के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा सूची 2002 में शामिल विशेष विकलांग व्यक्तियों को भी 400/– रुपये प्रतिमाह प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 10,787 पेंशनधारी चयनित हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2010–11 में लातेहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी 16 निर्माणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की चारदीवारी की नयी योजना तैयार किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वा के उन्नयन का प्रस्ताव है, जिसे सेन्टर ऑफ एक्सेलेन्स के रुप में स्थापित किये जायेंगे। प्रखण्ड स्तर पर नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की योजना है।

कल्याण विभाग के अन्तर्गत राज्य के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, छात्र/छात्राओं के लिए कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ ली जा रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में अन्य योजनाओं के अतिरिक्त निम्न प्रमुख योजनाएँ के लिए प्रावधान किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस योजना के तहत कुल 150 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

उच्च विद्यालय की शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक वर्गों की छात्राएँ के लिए साईकिल वितरण योजना चलायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कक्षा आठ में पढ़ने वाले छात्रों को भी साईकिल वितरण की योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना को आगामी वर्ष के लिए भी जारी रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आदिम जनजाति के सभी परिवार को प्रतिमाह 35 किलोग्राम निःशुल्क देने का प्रावधान है। वर्ष 2009–10 में 5.70 करोड़ रुपये की राशि से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना को वित्तीय वर्ष 2010–11 में भी जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

बिरसा मुण्डा आवास योजनान्तर्गत आदिम जनजातियों के बसाव एवं उनके रहने के लिए शत–प्रतिशत अनुदान पर यह योजना प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2,500 बिरसा आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2010–11 में आदिम जनजातियों के सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आदिम जनजातियों के सदस्यों को मुख्य धारा में जोड़े जाने के लक्ष्य को दृष्टिपथ करते हुए आदिम जनजातियों के युवक युवतियों को खास वर्गों में सीधी नियुक्ति की जा रही है। वर्ष 2009 में स्नातक उत्तीर्ण 74 युवक–युवतियों को तृतीय वर्ग के पदों पर विभिन्न जिलों में सीधी नियुक्ति प्रदान की गयी है। वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत XISS से प्रशिक्षण प्राप्त 32 युवक–युवतियों को कल्याण विभाग द्वारा संचालित पहाड़िया दिवाकालीन विद्यालयों में एक वर्ष के लिए मानदेय पर नियुक्त किया गया है।

समाज कल्याण के अंतर्गत भी कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2010–11 में 520 करोड़ रुपये की योजनाएँ तैयार की गयी है। निम्न योजनाओं का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत् गर्भवती महिलाओं, बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए भोजन को संबर्द्धित पोषाहार मॉडल के अनुसार की जा रही है। इस पूरक पोषाहार की आपूर्त्ति से लाभुकों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी एवं प्रोटीनयुक्त भोजन प्राप्त हो रहे हैं।

राज्य में 35,881 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इन केन्द्रों के सेविकाओं एवं सहायिकाओं को केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि के अतिरिक्त प्रतिमाह क्रमशः 700 तथा 350/– रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 2,551 लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविकाओं को 350/– रुपये की दर से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। मानदेय के लिये इस मद में वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 47.35 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से गरीब लड़कियों के विवाह के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रुप में प्रति कन्या

10 हजार रुपये को बढ़ाकर 15 हजार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 10 हजार कन्याओं के विवाह का लक्ष्य है।

स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के द्वारा राज्य में निवास कर रहे विभिन्न श्रेणियों के निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह 200/– रुपये की दर से प्रोत्साहन भत्ता/सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है। आगामी वर्ष में कुल 30 करोड़ रुपये की राशि इस योजना के लिए कर्णांकित की जा रही है।

बाल विकास परियोजना भवन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का भी निर्माण का कार्य किये जाने का प्रस्ताव है, जिस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में 15.00 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की जा रही है।

झारखण्ड का **वन** क्षेत्र झारखण्ड राज्य के लिये ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिये एक महत्वपूर्ण संपदा है। इस वन संपदा के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिये वृक्षारोपण आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वृक्षारोपण की 7 विभिन्न योजनाओं, यथा अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण, लघु वन पदार्थ का उन्नयन, लाह विकास योजना, भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना, गहन वन विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में 13,742.451 हे० में 2.499 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए वन एवं पर्यावरण की योजना राज्य के लिये कुल 130.00 करोड़ रूपये का उदव्यय प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में 16,490.65 हे० में 2.747 करोड़ पौधों का रोपण किया जायगा।

लघु वनोत्पाद (लाह, तसर, बाँस, तैलीय बीज–महुआ, करंज, साल, आदि) पर आधारित ग्रामीण रोजगार/आय में बढ़ोत्तरी हेतु विनिर्दिष्ट लघु वनोत्पाद

की समुचित उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायगा।

जंगली हाथियों से सुरक्षा हेतु पायलट प्रशमन योजना की योजना तैयार की गई है। इस पायलट योजना का उद्देश्य जंगली हाथियों से जानमाल की क्षति को रोकने अथवा कम करने के कार्य को प्रभावी बनाने के लिये इसमें ग्राम समुदाय की सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना है।

पूरे देश में खेल तथा कला संस्कृति परिदृश्य में झारखण्ड का अपना विशेष स्थान है। झारखण्ड राज्य को 34वाँ राष्ट्रीय खेल का आयोजन करने का दायित्व प्राप्त है। राष्ट्रीय खेल के सफल आयोजन हेतु सभी प्रकार की संरचनायें बनकर तैयार है। इन राष्ट्रीय खेलों को भव्य एवं सफल तरीके से आयोजन करने के लिये सरकार तैयार है। ओलंपिक एशोसिएशन से तिथि निर्धारण हेतु सरकार की वार्त्ता हो चुकी है।

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रक्षेत्र में राज्य की प्रगति सराहनीय है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये 35.00 करोड़ की योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया है। जमशेद्पुर में साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क निर्मित करने के उद्देश्य से आयडा से 3.50 एकड़ जमीन प्राप्त कर ली गई है तथा STPI निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

Public-Private-Partnership के आधार पर राज्य के सभी जिला निबंधन कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण से 30 मिनट के अंदर दस्तावेज निबंधित किये जा सकते है। इससे जमीन एवं संपत्ति के मूल्यांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है।

17 जेलों एवं संबंधित 17 जिला सत्र न्यायालयों के बीच में भी Video Conferencing System को अधिष्ठापित किया गया है, जिसके माध्यम से

जेलों मे रह रहे विचाराधीन कैदियों को अब न्यायालय में स–शरीर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है एवं मजिस्ट्रेट Video Conferencing के माध्यम से ही कैदियों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद् के आग्रह पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के संबंध में एक समेकित सॉफ्टवेयर बनाने की परियोजना प्रस्तावित है। जन वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण के तहत् खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण से खाद्यान्न के उठाव, उसके स्टोरेज, स्टॉक की स्थिति, मात्रा एवं राशन कार्ड के साधन, यूनिटों की संख्या, सामानों का वितरण तथा वितरित की गई सामग्रियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी।

प्रज्ञा केन्द्र योजना का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकास का लाभ ग्रामीण जनता के दरवाजे पर कराते हुए ग्रामीण सशक्तिकरण का है। इस योजना से राज्य में लगभग 4,562 प्रज्ञा केन्द्र विभिन्न प्रमंडल में स्थापित किया जाना है।

गाँवों के नक्शों को डिजिटाईजेशन की योजना प्रस्तावित है।

तकनीकी शिक्षा स्तर में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार के लिये राज्य में 17 जिलों में पॉलिटेक्निक स्थापित किये जायेंगे। राज्य सरकार सभी अनुमंडल मुख्यालयों में एक पॉलिटेक्निक स्थापना करने की कार्य योजना है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, चाईबासा, रामगढ़ शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे। दुमका में भी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

आवास की जरूरत मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। आवास विभाग के अन्तर्गत आवास बोर्ड के माध्यम से निम्न आय वर्ग एवं मध्य आय वर्ग

के लिये आवास बोर्ड की भूमि पर आवास निर्माण सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा।

नगर विकास में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इस क्रम में धनबाद एवं देवघर नगर निगम/झुमरीतिलैया, कोडरमा एवं चक्रधरपुर नगर परिषद् का गठन किया जा चुका है तथा चास नगरपालिका को नगर परिषद् के रूप में गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विश्रामपुर (पलामू) एवं मझिआंव (गढ़वा) नगर पंचायत के रूप में गठित किया गया है। शीघ्र ही इन निकायों में चुनाव सम्पन्न करा लिये जायेंगे।

नगर विकास के अन्तर्गत राँची **शहरी जलापूर्ति योजना** हेतु 288.39 करोड़ रूपये एवं धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 365.85 करोड़ रूपये की योजनाएँ स्वीकृत हैं। इन योजनाओं को मूर्त्त रुप देने हेतु कार्यान्वयन किया जा रहा है। BSUP अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए राँची शहर में 8,928 आवासीय इकाई एवं धनबाद शहर के लिए 2,960 आवासीय इकाईयाँ स्वीकृत है। योजना के कार्यान्वयन के लिए PMC चयन हो चुका है। योजना का कार्यान्वयन मार्च तक प्रारम्भ कर दी जायगी।

शहरी जलापूर्ति योजना अंतर्गत खूँटी, गुमला, लोहरदगा, बिरसानगर (जमशेदपुर), गिरिडीह, दुमका, कतरास, जुगसलाई मिहिजाम, चतरा, झुमरीतिलैया एवं मानगो की कुल 252.85 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है। खूँटी की योजना पूर्ण हो गयी है तथा जलापूर्ति चालू भी किया गया है। गुमला, लोहरदगा एवं बिरसा नगर (जमशेदपुर) की योजना अंतिम चरण में है।

केन्द्र प्रायोजित JnNURM योजनान्तर्गत राँची, धनबाद, चास एवं देवघर की जलापूर्ति योजना स्वीकृत है। चास एवं देवघर की जलापूर्ति योजना अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

शहरी गरीबों के लिए राँची में 8,928 एवं धनबाद में 2,960, गुमला में 1,292, हजारीबाग में 1,230, चाईबासा में 736, मेदिनीनगर में 969, लोहरदगा में 1,623, फुसरो में 886, गिरिडीह में 1,132, मिहीजाम 1,351, चतरा शहर में 932, सरायकेला शहर में 1,353, चिरकुण्डा शहर में 907 अर्थात कुल 24,299 आवासीय इकाई स्वीकृत है। अगले वित्तीय वर्ष तक इसे पूर्ण करते हुए आवासित किये जाने का लक्ष्य है।

शहरों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु सरकार कृत संकल्प है। इस लक्ष्य हेतु सभी शहरी निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना लागू का निर्णय लिया गया है। सभी प्रमुख शहरों में ड्रेनेज एवं सिवरेज की योजनायें क्रान्वित की जायेंी।

अध्यक्ष महोदय, **राजस्व** वृद्धि के लिए हमारी सरकार की रणनीति कर प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाना एवं कर प्रशासन को चुस्त करना है। मुझे पूरी आशा है कि इन प्रयासों से न केवल राज्य में राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं सदन का बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा वस्तु तथा सेवा कर प्रणाली (G.S.T.) लागू करने के लिये कार्रवाई की जा रही है। G.S.T. कर प्रणाली के संबंध में राज्य सरकार के कुछ चिन्तायें एवं आशंकायें है। झारखण्ड राज्य मुख्य रूप से Exporting State है, G.S.T. में अगर कर Destination आधारित होने पर राज्य को नुकसान होगा।

G.S.T. के लिये प्रस्तावित 16 प्रतिशत की दर इस आशा पर आधारित है कि सेवाओं की खपत पर करारोपण से पर्याप्त राजस्व प्राप्त होगा। अन्य देशों में यह इसलिये संभव हो सका था, क्योंकि वहाँ पर G.S.T. लागू करने के पूर्व सेवाओं पर करारोपण नहीं था, जबकि अपने देश में पहले से ही सेवाओं की निजी घरेलू खपत अपेक्षाकृत कम है, विशेषकर पिछड़े हुये राज्यों में। इस कारण G.S.T. कर प्रणाली में वस्तुओं से प्राप्त होने वाले राजस्व में हानि की पूर्ति सेवाओं से प्राप्त राजस्व से नहीं हो सकेगी।

हमें अंदेशा है कि नई कर प्रणाली के अन्तर्गत प्रस्तावित दर के कारण राज्यों को राजस्व की हानि स्थाई रूप से होगी। मैं राज्य का पक्ष रखने के लिये माननीय सदस्यों का भी सहयोग चाहूँगा। राज्य का पक्ष मजबूती से रखने के लिये एक संयुक्त ज्ञापन एवं सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की केन्द्र सरकार से वार्त्ता के लिये मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय राजस्व संसाधनों का महत्व विकास के लिये स्वतः स्पष्ट है। हमें राजस्व बढ़ोतरी हेतु राज्य के विकास के लिये हर संभव प्रयास करने ही होंगे। विकास के लिये हमें अपना हिस्सा अदा करना ही होगा।

''जमीन जब तक न अपना हिस्सा अदा करेगी,

गुलाब खिलते नहीं हवाओं की सिफारिशों से।।''

राज्य में कर – प्रशासन को अधिक पारदर्शी तथा दक्ष बनाये जाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही है। परिवहन विभाग के अन्तर्गत परमिट फीस आदि इंटरनेट के माध्यम से जमा करने की सुविधा अत्यंत लोकप्रिय है। वाणिज्यक कर में कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत् शीघ्र ही नये एप्लीकेशन साफ्टवेयर की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास है। इससे व्यावसाईयों द्वारा ऑनलाईन कर का भुगतान किया जा सकेगा तथा विवरण पत्रक एवं विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। वैट की वापसी भी कोषागारों से इलेक्ट्रानिक क्लीयरेंस सिस्टम से की जा सकेगी, जिससे यह प्रक्रिया सरल हो जायेगी। निबंधन के लिये भी पूर्णरूपेण कम्प्यूटराईजेशन कर व्यवस्था को सुदढ़ किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध के अन्तर्गत भी राजस्व बढ़ोतरी के लिये नई उत्पाद नीति को कारगर रूप से लागू किया जायेगा। राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से 28 स्थानों पर रेल एवं रोड चेक पोस्ट की स्थापना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के लोगों, व्यापार एवं उद्योग जगत के हित में निम्नांकित राहत प्रस्तावित करता हूँ :–

- चावल को कर मुक्त किया जायेगा।
- गेहूँ को कर मुक्त किया जायेगा।
- धान एवं राईस ब्रान को कर मुक्त किया जायेगा।
- आलू, प्याज कर मुक्त रहेंगे।
- साबूदाने का कर मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।
- कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चें पोटाटो चिप्स, सेंवई एवं फिंगर चिप्स को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।
- संदूक/कोठी को कर मुक्त किया जायेगा।
- रबड़–चप्पल को भी कर मुक्त किया जा रहा है।
- मेंहदी कर मुक्त की जा रही है।
- सोलर बैटरी कर मुक्त होगी।
- हेलमेट पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत होगी।
- मोटर पार्टस पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत होगा।
- मिठाई पर कर दर को भी 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत किया जा रहा है।
- नमकीन भुजिया पर भी कर दर 12.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जा रहा है।

- आईसक्रीम पर कर दर को भी 12.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जा रहा है।

- डीजल वैट दर को 20 प्रतिशत से घटा कर 18 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

मैं सदन को सूचित करना चाहूँगा कि मुख्य रूप से खनिजों में रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होती है। रॉयल्टी निर्धारण में केन्द्र सरकार की अहम भूमिका है। राज्य के द्वारा पर्यवेक्षण, स्थापना, आधारभूत संरचना पर काफी अधिक व्यय किया जाता है, परन्तु रॉयल्टी खनिज दोहन के परिप्रेक्ष्य में कम प्राप्त होता है।

- Iron Ore के लिये एक ही ग्रेड के लिये अलग राज्यों के लिये अलग दर है। झारखण्ड राज्य का दर देश के सबसे कम दरों में एक है।

- कोयला के लिये कोयला के मूल्य के अनुपात में मात्र 13 से 14 प्रतिशत ही रॉयल्टी प्राप्त होती है। पूर्व में यह अनुपात 20 प्रतिशत था। स्पष्ट है कि रॉयल्टी की राशि घट गई है।

- कोयला के हम बड़े उत्पादक है, परन्तु झारखण्ड राज्य को रॉयल्टी दर के Advance Study Group में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य की जमीन, जल, आधारभूत संरचना की कीमत पर खनिज का दोहन होता है। रॉयल्टी के उचित दर नहीं होने के

कारण राज्य की राजस्व क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। मैं मान्य विधायकों से इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा रॉयल्टी दर पुनरीक्षण के प्रयासों में सहयोग प्राप्त करना चाहूँगा।

आर्थिक स्थिति

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्ष 2009–10 में प्रचलित दरों पर आधारित झारखण्ड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 82,834.00 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2008–09 के 75,711.00 करोड़ रूपये की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुये कुल 7,123.00 करोड़ रूपये की बढ़ोतरी हुई है।

वर्ष 2009–10 में प्रति व्यक्ति आय 26,834.00 रूपये अनुमानित है, जो कि वर्ष 2008–09 की प्रति व्यक्ति आय 24,874.00 रूपये की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2010–11 में प्राथमिक क्षेत्र में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में 10.6 प्रतिशत एवं सेवा प्रक्षेत्र में 10.37 प्रतिशत वृद्धि संभावित है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुये वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत वृद्धि का प्रयास किया जायेगा तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 30,000 रूपये करने के लिये हर संभव प्रयास किया जयेगा।

वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान

अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2010–11 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये राज्य को विभिन्न स्रोतों से 20,118.36 करोड़ रूपये के प्राप्ति का अनुमान है। राज्य कर से 5,967.43 करोड़ रूपये तथा कर भिन्न राजस्व के रूप में 3,129.64 करोड़ रूपये का अनुमान है।

केन्द्र सरकार से योजना एवं गैर योजना मद में प्राप्त सहायता हेतु कुल 4,665.10 करोड़ रुपये का आकलन किया गया है। ऋण एवं ब्याज के रुप में कुल 16.62 करोड़ रुपये के आय का आकलन है। केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी के रुप में कुल 6,339.57 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में 11,993.18 करोड़ रुपये गैर योजना मद में व्यय का आकलन किया गया है। गैर योजना मद में राज्यकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु कुल 5,156.23 करोड़ रूपये का अनुमान है। इसी प्रकार राज्य के पेंशनभोगियों के लिये पेंशन मद में कुल 1,401.13 करोड़ रूपये के व्यय का अनुमान है। 2,135.05 करोड़ रूपये ब्याज भुगतान हेतु अनुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य योजना के अन्तर्गत कुल 8,600.00 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि वर्ष 2009–10 की तुलना में 400.00 करोड़ रूपये अधिक है।

केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1,245.30 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय योजनागत् योजना के अंतर्गत कुल 459.11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इस प्रकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय योजनागत् योजना के तहत् कुल 1,704.41 करोड़ रूपये की योजनायें तैयार की गई है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये कुल 10,304.41 करोड़ रूपये की योजनायें तैयार की गई है। कुल योजनाओं की 40.15 प्रतिशत का व्यय पूँजीगत् व्यय हेतु किये जाने का प्रस्ताव है, जबकि कुल व्यय का 25.77 प्रतिशत पूँजीगत् व्यय के रूप में प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए कुल 22,297.59 करोड़ रुपये की राशि के व्यय का आकलन किया गया है। जबकि राज्य की कुल संसाधन से 20,118.36 करोड़ रूपये प्राप्ति का आकलन किया गया है।

राज्य की निर्धारित योजना आकार के अनुरूप व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 2,179.23 करोड़ रुपये ऋण के रुप में प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

राजकोषीय स्थिति

अध्यक्ष महोदय राज्य के स्वयं के राजस्व में गत् वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं प्रयासों के कारण गत् वर्षों के समान वर्ष 2010–11 के बजट में भी 3,550.85 करोड़ रूपये का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।

राज्य का राजकोषीय घाटा कुल 2,179.23 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन का यह बताते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि विकासोन्मुखी व्यय में लगातार वृद्धि के बावजूद गत् वर्षों में सकल वित्तीय घाटा, **''राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम''** में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा है तथा इस बजट में भी इसे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप रखने में हम सफल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता मानव संसाधन, सामाजिक, आर्थिक तथा आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में पर्याप्त पूँजीनिवेश करने के साथ–साथ उन जन–कल्याणकारी योजनायें लागू करना है, जिनके दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। बजट के माध्यम से हमारी रणनीति इन योजनाओं को निर्णायक मुकाम तक पहुँचाने की है।

''इनक्लुसिव ग्रोथ'' को बुनियादी अवधारणा के रूप में सरकार ने अंगीकृत किया है। हमने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में मुख्य धारा से वंचित रहे समूहों को ग्रोथ के प्रभाव में जोड़ने के लिये विशेष महत्व दिया है, बजट का यही मूल मंत्र है।

झारखण्ड बदल रहा है। तीन करोड़ जन सम्पदा के साथ नई इबारत गढ़ेंगे। सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप को और धारदार करना है। हमें बाजार शक्तियों का उत्पादन एवं विकास में योगदान देने के लिये पर्याप्त अवसर देना है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। हमारे विकास मॉडल में औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण शामिल है, वहीं गरीबी, अशिक्षा मिटाने के साथ अवसर की समानता भी समावेशी विकास के सिद्धान्त को लागू करना है।

हम अपनी पाँच वर्षीय यात्रा शुरू कर रहे है। जितनी समस्यायें होंगी, उतना ही समाधान होगा। सभी विपरित परिस्थितियों का मुकाबला करना और सभी अवरोधों को दूर करना है। **सफलता के लिये धैर्य, जिद और जुनून हमारे पास है। हमारा लक्ष्य, झारखण्ड को विकसित राज्यों की पंक्ति में खड़ा करना।**

"जिन्दगी की अगली उड़ान अभी बाकी है,

हमारे इरादों का इम्तहान बाकी है,

अभी तो नापी है मुट्ठीभर जमीन हमने,

आगे सारा आसमान बाकी है।।"

अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं गैर योजना मद में 11,993.18 करोड़ रूपये तथा योजना मद में 10,304.41 करोड़ रूपये यानी कुल 22,297.59 करोड़ रूपये का बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

जय झारखण्ड !

जय भारत !!